मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

74, अरेरा हिल्स, केन्द्रीय विद्यालय के पास, भोपाल

दूरभाष : 0755-2552713, Email : khadimarketing@gmail.com

क्रमांक/विपणन-14/279/2026-27/1322बी भोपाल, दिनांक: 10 जून, 2026

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उत्पादित खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के मध्यप्रदेश में जिला स्तर पर विक्रय एवं प्रचार-प्रचार के लिए मध्यप्रदेश के समस्त जिलों - भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, देवास, नीमच, रीवा, उज्जैन, खरगौन, मंदसौर एवं नर्मदापुरम को छोड़कर शेष जिलों में फ्रेंचाईजी आधार पर खादी ग्रामोद्योग विक्रय केन्द्र संचालित किये जाने हेतु दिनांक 03.07.2026 दोपहर 1:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा प्रस्ताव दिनांक 03.07.2026 को दोपहर 3:00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोले जाएंगे।

फ्रेंचाईजी आधार पर खादी ग्रामोद्योग विक्रय केन्द्र संचालित किये जाने हेतु निविदा प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित शुल्क, आवेदन का प्रारूप, निविदा की शर्तें एवं अनुबंध की शर्तों का प्रारूप संबंधी विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाइट **mpkhadigramodyog.com** पर अवलोकन/डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालयीन समय में बोर्ड मुख्यालय, भोपाल से दिनांक 02.07.2026 को दोपहर 4:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने अथवा निविदा आवेदन जमा करने, खोलने की तिथि/समय में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल को होगा।

म.प्र. माध्यम/126312/2026 **प्रभारी अधिकारी**

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

74, अरेरा हिल्स, भोपाल

E-mail id- khadimarketing@gmail.com mobile- 94256 35915

खादी ग्रामोद्योग विक्रय केन्द्र पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप/फ्रेन्चायजी आधार पर संचालन हेतु निविदा विवरण

निविदा फार्म का मूल्य	रूपये 1000/– (एक हजार मात्र)
निविदा विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशन की दिनांक	दिनांक 11.06.2026
निविदा फार्म जमा करने की प्रारंभ तिथि व समय	दिनांक 11.06.2026 प्रातः 10:30 बजे से
निविदा फार्म विक्रय की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 02.07.2026 दोपहर 04:00 बजे तक
निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 03.07.2026 दोपहर 01:00 बजे तक
निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि व समय	दिनांक 03.07.2026 दोपहर 03:00 बजे
अमानत राशि	अनुबंध की शर्त अनुसार
निविदा खोलने का स्थान	मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, 74, अरेरा हिल्स, केन्द्रीय विद्यालय के पास, भोपाल

11/6/26

प्रपत्र–"ए"

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल

पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप/फ्रेंचाईजी अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग उत्पादों का विक्रय संर्वधन

– : : आवेदन फार्म : : –

1. निविदाकर्ता का नाम :...
2. पिता/पति का नाम :...
3. निविदाकर्ता का पता :...
   :...
4. निविदकर्ता की शैक्षणिक योग्यता:...
   :...
   :...
5. निविदाकर्ता का वर्ग/जाति :...
6. निविदाकर्ता का वर्तमान व्यवसाय:...
7. निविदाकर्ता के व्यवसाय का अनुभव वर्षः...
8. निविदाकर्ता का आयकर स्थायी लेखा संख्याः...
9. विगत पॉच वर्षों का आयकर रिर्टन :...
10. स्वयं का शपथ पत्र :...
11. आवेदन शुल्क जमा राशि का विवरण राशि रू. ....शब्दों में ....
    रसीद/ड्राफ्ट...............दिनांक..../..../.............

:: सत्यापन ::

उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दिया गया विवरण सत्य है, यदि गलत पाया गया तो उसके में स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम ....

निविदाकर्ता का पता ....

....

निविदाकर्ता का मो.नं. ....

संलग्न दस्तावेज :–

1. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र ।
2. व्यवसाय के अनुभव संबंधी दस्तावेज की छायाप्रतियॉ ।
3. आयकर विभाग का स्थायी खाता संख्या प्रमाण पत्र ।
4. अपराधिक प्रकरण/एफ.आई.आर.
5. शासकीय देयता न होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र ।

प्रपत्र – "बी"

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल

पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप / फ्रेंचाईजी अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग उत्पादों का विक्रय संवर्धन

प्रति,

प्रबन्ध संचालक
मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
भोपाल

विषय :– पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप / फ्रेंचाईजी अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग विक्रय केन्द्र, संचालन हेतु निविदा प्रस्ताव ।
संदर्भ :– समाचार पत्र में प्रकाशित आपकी विज्ञप्ति दिनांक ....

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित विज्ञप्ति के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पी.पी.पी. / फ्रेंचाईजी मोड अन्तर्गत संचालित किये जाने हेतु खादी ग्रामोद्योग विक्रय केन्द्र, की विज्ञप्ति, नियम एवं शर्तों का भली भॉति अध्ययन एवं अवलोकन कर लिया गया है ।

मैं .... शहर एवं जिले में स्वयं / किराये की दुकान में मध्य प्रदेश तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उत्पादित की जाने वाली खादी ग्रामोद्योग सामग्री के विक्रय करने हेतु पी.पी.पी. / फ्रेंचाईजी मोड मोड पर विक्रय केन्द्र का संचालन के लिए शुद्ध विक्रय मूल्य पर प्रतिमाह .... प्रतिशत अक्षरी .... प्रतिशत व्यवसाय शुल्क प्रतिमाह मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को भुगतान करने की सहमति प्रदान करता हूँ ।

स्थान :– ....
दिनांक :– ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
निविदाकर्ता का नाम ....
निविदाकर्ता का पता ....
....
निविदाकर्ता का मो.नं. ....

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल

पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप/फ्रेंचाईजी अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग उत्पादों का विक्रय संवंधन

--00--

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के उत्पादन हेतु उत्पादन केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है । बोर्ड के प्रदेश में बड़े शहरों में लगभग 18 विभागीय खादी ग्रामोद्योग एम्पोरियम संचालित है । खादी क्षेत्र में कार्यरत कत्तिन बुनकरों एवं अन्य कारीगरों को सतत् रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विक्रय में वृद्धि किया जाना आवश्यक है । इसके लिए प्रदेश के अन्य जिला/शहरों में विक्रय केन्द्रों के संचालन से खादी वस्त्रों एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के विक्रय में वृद्धि संभावित है ।

वर्तमान में उत्पादित खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री को आमजन तक पहुँचाने एवं सहजता पूर्वक उपलब्ध कराने हेतु बोर्ड की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने एवं आय में वृद्धि करने के लिए व्यवसाय् के अतिरिक्त साधन जुटाने के संदर्भ में प्रदेश में जिला मुख्यालय स्तर पर एवं अन्य शहरी क्षेत्रों में, जहाँ पर वर्तमान में मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के विक्रय एम्पोरियम संचालित नहीं है, पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप/फ्रेंचाईजी मोड अन्तर्गत अनुबंध पर अनुबंध की शर्तों के आधार पर व्यवसायियों को खादी ग्रामोद्योग विक्रय केन्द्र संचालन हेतु अवसर प्रदान किये जाएगें ।

पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप/फ्रेन्चाईजी पद्धति की वर्तमान नीति का इस संबंध में पूर्व की पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप/फ्रेन्चाईजी नीतियों, अनुबंध की शर्तों से कोई भी संबंध नहीं होगा । वर्तमान नीति एवं अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ही पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप/फ्रेन्चाईजी पद्धति पर खादी ग्रामोद्योग विक्रय एम्पोरियम के संचालन एवं कार्यों का सम्पादन किया जाएगा ।

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन जारी कर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाकर चयन किया जावेगा।

पात्रता का निर्धारण/शर्तें :-

1 आवेदक कम से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।

2 जिस जिला मुख्यालय/शहर/ब्लॉक/तहसील में म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का विक्रय केन्द्र/एम्पोरियम नहीं है । वहीं के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

3 आवेदक के पास स्वयं की दुकान अथवा न्यूनतम तीन वर्ष का किराया अनुबंध होना चाहिए।

4 आवेदक के विरूद्व किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण एवं एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होना चाहिए ।

5 आयकर, विक्रय कर, जी.एस.टी एवं किसी भी प्रकार की शासकीय देयता लंबित न होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा नए नम्बर लेने होंगे।

6 आवेदक के पास विपणन/विक्रय कार्य हेतु अपना स्वयं का स्टाफ होना चाहिए।

7 वस्त्र/एफ.एम.सी.जी. व्यवसाय का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

अन्य :–

1. अनुबंधकर्ता द्वारा विक्रय केन्द्र पर विक्रय कार्य हेतु रखे गए स्टाफ को खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के विक्रय हेतु प्रशिक्षण म.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

2. खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्धारित गाईडलाईन अनुसार बोर्ड से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुनिश्चित की जाएगी ।

3. खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की जिला स्तर ब्राण्डिंग एवं प्रचार–प्रसार संबंधी कार्य बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

11/6/26

निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने संबंधी नियम एवं शर्ते निम्नानुसार हैः–

1 निविदा का प्रस्ताव म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य किया जावेगा।

2 निविदा प्रपत्र दिनांक **11.06.2026** से दिनांक **02.07.2026** तक निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रू. 1000/– म.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा उद्‌याचल भोपाल के खाता क्रमांक – **53007137741** आई.एफ.एस.सी. कोड **SBIN0007932** में आर.टी.जी.एस./ निफ्ट कर अथवा बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत कर अथवा नगद राशि जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

3 व्यवसाय संचालन के लिए व्यवसाय शुल्क प्रतिमाह विक्रय मूल्य की राशि का न्यूनतम 02 प्रतिशत निर्धारित है । व्यवसाय शुल्क का प्रस्ताव फायनेंसियल बिड B में प्राप्त किया जाएगा, जो कि विक्रय राशि का न्यूनतम 02 प्रतिशत से कम नहीं होगा । आवेदित संबंधित स्थान के लिए प्राप्त अधिकतम शुल्क के प्रस्ताव के आधार पर संबंधित प्रस्तावक से नियमानुसार अनुबन्ध किया जायेगा । निर्धारित व्यवसाय शुल्क का भुगतान निविदाकर्ता को प्रतिमाह 10 तारीख तक म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को करना होगा ।

4 निविदाकर्ता द्वारा बोर्ड के निर्धारित प्रपत्र A में तकनीकी बिड बन्द लिफाफा में प्रस्तुत की जावेगी, जिस पर स्पष्ट शब्दों में A तकनीकी बिड अंकित किया जावेगा।

5 निविदाकर्ता द्वारा बोर्ड के निर्धारित प्रपत्र B में फासनेंसियल बिड बन्द लिफाफा में प्रस्तुत की जावेगी, जिसमें व्यवसाय कार्यस्थल का शहर एवं विक्रय पर सेवा शुल्क प्रतिशत लिखा होना चाहिए । लिफाफे पर स्पष्ट शब्दों में फायनेंसियल बिड B अंकित किया जावेगा।

6 निविदाकर्ता द्वारा लिफाफा A एवं लिफाफा B एक अन्य लिफाफे C में रख कर सील बन्द कर प्रस्तुत किया जावेगा । लिफाफा C पर स्पष्ट शब्दो में तकनीकी बिड एवं फायनेंसियल बिड का लिफाफा तथा जिस शहर/जिला के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उस शहर/जिला का नाम स्पष्ट शब्दों मे अंकित किया जावेगा।

7 बोर्ड द्वारा गठित समिति एवं निविदिाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष निर्धारित तिथि को लिफाफा C खोलकर पहले तकनीकी बिड के लिफाफे को खोला जायेगा। तकनीक बिड नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर ही फायनेंसियल बिड के लिफाफे को खोला जायेगा अन्यथा फायनेंसियल बिड नही खोली जावेगी ।

11/6/26

8 निविदा सील बन्द लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र A एवं B सभी पृष्ठों पर पूर्ण हस्ताक्षर के साथ ही ग्राह्य की जावेगी। सशर्त निविदायें ग्राह्य नहीं जावेगी और ऐसी निविदाओं पर विचार भी नहीं किया जावेगा।

9 निविदा निर्धारित प्रपत्र में अंकित सभी आवश्यक दस्तावेंजो की स्वप्रमाणित (हस्ताक्षरित) छायाप्रतियों के साथ प्रस्तुत की जावेगी तथा अनुबंध के पूर्व बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि को प्रस्तुत दस्तावेजो का मूल प्रतियों से सत्यापन कराया जाना होगा। दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां नहीं होने परं निविदा ग्राह्य नहीं की जावेगी।

10 निविदाकर्ता विज्ञप्ति में प्रकाशित एक से अधिक शहर अथवा शहरों के विक्रय केन्द्र के लिए निविदा प्रस्ताव दे सकता है परन्तु प्रत्येक शहर के लिए पृथक पृथक निर्धारित निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र की छायाप्रति मान्य एवं विचार योग्य नहीं होगी ।

11 खादी ग्रामोद्योग विक्रय केन्द्र का कार्य क्षेत्र उसी जिले तक सीमित रहेगा, जिस जिले के लिए निविदा/आवेदन मान्य किया गया है। जिन जिलों में बोर्ड के विभागीय विक्रय एम्पोरियम संचालित हैं एवं जिन जिलों में पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप/ फ्रेन्चाईजी पद्धति पर अनुबंध के लिये प्राप्त निविदा प्रस्तावों के आधार पर विक्रय एम्पोरियमों का संचालन किया जाना है, उन जिलों को छोड़कर, शेष जिलों से अनुबंधकर्ता द्वारा अनुबंध के पूर्व लिखित आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में संबंधित अनुबंधकर्ता के कार्य क्षेत्र में आवेदित अन्य जिलों को जोड़े जाने की सहमति मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दी जा सकती है ।

12 निविदा के नियम, शर्ते, आवेदन पत्र का प्रारूप व अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में 11.00 से 6.00 बजे तक प्रबन्धक (विपणन) म.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, 74, अरेरा हिल्स, भोपाल से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

13 किसी एक शहर के विक्रय केन्द्र को संचालित करने के लिए एक से अधिक निविदाएं प्राप्त होने की दशा में अधिकतम व्यवसाय शुल्क के प्रस्ताव को मापदण्ड माना जावेगा। एक शहर हेतु समान दर के एक से अधिक निविदा प्रस्ताव प्राप्त होने पर आंवटन प्रथमतया अनुभव व तदुपरांत लाटरी पद्धति के द्वारा किया जावेगा।

14 निविदा/अनुबंध की किसी भी शर्त/शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय अनुबंध निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा ।

15 निविदा प्रस्ताव को मान्य करने अथवा मान्य नहीं करने संबंधी निर्णय निम्नलिखित समिति द्वारा लिया जायेगा :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग,
2. प्रबन्ध संचालक, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल
3. आयुक्त, रेशम संचालनालय, भोपाल

16 म.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निर्धारित निविदा प्रकिया में पात्रता अनुसार चयनित निविदाकर्ता को निम्नांकित शर्तो पर अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त खादी ग्रामोद्योग विकय केन्द्र के संचालक का अवसर प्रदान किया जावेगा ।

11/02/26

—: अनुबन्ध की शर्तें :—

प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग विक्रय केन्द्र जिला स्तर पर पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप/फ्रेन्चाईजी पद्धति पर संचालित किये जाने का मुख्य उद्देश्य बोर्ड द्वारा उत्पादित खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रमोशन एवं विक्रय में वृद्धि करना है, जिससे आम–जन को खादी एवं ग्रामोद्योग के विश्वसनीय उत्पाद सुगमता पूर्वक उपलब्ध होने के साथ–साथ प्रदेश के कत्तिन, बुनकर एवं अन्य कारीगरों को सतत् रोजगार उपलब्ध हो सकें ।

पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप/फ्रेन्चाईजी पद्धति के आधार पर वर्तमान नीति एवं अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ही पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप/फ्रेन्चाईजी पद्धति पर खादी ग्रामोद्योग विक्रय एम्पोरियम के संचालन एवं कार्यों का सम्पादन किया जाएगा ।

1. यह अनुबंध जिला .... में खादी ग्रामोद्योग विक्रय केन्द्र संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि दिनांक .... से दिनांक .... तक के लिए वैध होगा । अनुबंध की समयावधि पूर्ण होने पर अनुबंध स्वतः निरस्त मान्य होगा, बशर्ते उभय पक्षों की आपसी सहमति से पुनः अनुबंध किया जाकर अनुबंध की अवधि को बढ़ाया नहीं गया हो।

2. उभय पक्षों की आपसी सहमति से अनुबंध अवधि में नवीन अनुबंध निष्पादित करते हुए एक वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकेगी ।

3. द्वितीय पक्षकार के साथ अनुबंध निष्पादन के उपरांत द्वितीय पक्षकार पर किसी भी प्रकार के अपराधिक प्रकरण दर्ज होने अथवा द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत वैधानिक शपथ पत्र गलत पाये जाने की स्थिति में जानकारी लिखित रूप से संज्ञान में आने की दिनांक से अनुबंध स्वतः निरस्त मान्य होगा ।

4. द्वितीय पक्षकार द्वारा दुकान के परिसर का उपयोग मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उत्पादित समस्त प्रकार के खादी वस्त्र सामग्री तथा विन्ध्यावैली ब्राण्ड के उत्पादों का फुटकर विक्रय करने के लिए किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री विक्रय नहीं की जाएगी, ऐसा पाये जाने पर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा ।

5. द्वितीय पक्षकार के निर्धारित खादी ग्रामोद्योग विक्रय केन्द्र का कार्य क्षेत्र जिस जिले में विक्रय केन्द्र संचालन/कार्य हेतु बोर्ड द्वारा सहमति दी गई है, उन जिलों में फुटकर विक्रय तक ही सीमित रहेगा ।

6. अनुबंधकर्ता शासकीय विभागों में सम्पर्क कर सामग्री प्रदाय करने हेतु किसी भी प्रकार के क्रय आदेश प्राप्त करने व शासकीय विभागों में विक्रय करने के लिये अधिकृत नहीं रहेगा।

7. म0प्र0 भंडार क्रय एवं सेवा नियम अंतर्गत प्राप्त क्रय आदेशों की शासकीय विभागों में समस्त प्रकार की विक्रय/प्रदायगी केवल मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विभागीय केन्द्रीय खादी वस्त्रागार, भोपाल द्वारा ही की जावेगी।

8. द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंधित विक्रय केन्द्र पर विक्रय हेतु सामग्री के लिए मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय, भोपाल को मॉग पत्रक/क्रय आदेश प्रदान किया जाएगा, जिसके आधार पर बोर्ड द्वारा उपलब्धता के अनुसार विभागीय केन्द्रीय खादी वस्त्रागार, भोपाल से समस्त प्रकार की खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री के चालान/बिल अनुसार राशि का भुगतान करने पर ही सामग्री प्रदाय कराई जायेगी।

9. अनुबंधकर्ता/द्वितीय पक्षकार द्वारा निर्देशों के विपरीत शासकीय विभागों में सामग्री की आपूर्ति किये जाने की स्थिति में अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन मानते हुए प्रथम पक्षकार द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा । सुरक्षा निधि बोर्ड के पक्ष में राजसात की जायेगी और अनुबंधकर्ता को ब्लेक लिस्टेड किया जायेगा।

10. द्वितीय पक्षकार को मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा समस्त प्रकार के खादी वस्त्र, विन्ध्यावैली ब्राण्ड सामग्री एवं अन्य ग्रामोद्योग सामग्री के क्रय आदेश अनुसार सामग्री की राशि का भुगतान करने के उपरांत ही सामग्री प्रदाय की जाएगी। सामग्री उधार नहीं दी जावेगी।

11. द्वितीय पक्षकार द्वारा क्रय की गई सामग्री का भुगतान केन्द्रीय खादी वस्त्रागार, भोपाल मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के बैंक खाते में निफ्ट/आर.टी.जी.एस. /बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि जमा होने के उपरांत ही सामग्री प्रदान की जाएगी ।

12. द्वितीय पक्षकार को मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से क्रय की गई खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रचलित थोक कमीशन प्राप्त होगा। वर्तमान में थोक कमीशन 13 प्रतिशत है जो खादी आयोग की गाईडलाईन के अनुसार समय–समय पर परिवर्तनीय होगा।

13. शासन के नियमानुसार अनुबंधित विक्रय एम्पोरियम के जी.एस.टी., टी.डी.एस. एवं अन्य करों के भुगतान का सम्पूर्ण दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा । इस प्रकार के प्रकरण में संचालन अवधि अथवा भविष्य में किसी भी वैधानिक कार्यवाही की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदारी अनुबंधकर्ता की होगी ।

14. द्वितीय पक्षकार द्वारा मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से विन्ध्यावैली ब्राण्ड के उत्पादों का थोक क्रय निम्न लिखित शर्तों पर करना होगा :–

(1) विन्ध्यावैली ब्राण्ड के उत्पादों का मांग पत्रक/क्रय आदेश मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय, भोपाल को प्राप्त होने पर दस दिवस में सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) द्वितीय पक्षकार अनुबंधित विक्रय केन्द्र पर विन्ध्यावैली ब्राण्ड के प्रतिस्पर्धी उत्पादों का विक्रय नहीं कर सकेगा ।

(3) विन्ध्यावैली ब्राण्ड उत्पाद अनुबंधकर्ता के विक्रय केन्द्र पर प्राप्त होने के बाद टूटफूट, डेमेज, एक्सपायरी की जवाबदारी द्वितीय पक्षकार की होगी ।

(4) विन्ध्यावैली ब्राण्ड उत्पादों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी/शिकायत प्राप्त होने पर केन्द्रीय खादी वस्त्रागार द्वारा उत्पादक इकाई को सामान वापस किया जा सकेगा ।

(5) द्वितीय पक्षकार मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर ही सामग्री का विक्रय करेगा । दरों में परिवर्तन नहीं कर सकेगा।

15. द्वितीय पक्षकार के पास स्वयं की दुकान/न्यूनतम तीन वर्ष का दुकान किराया का अनुबंध होना चाहिए।

16. द्वितीय पक्षकार द्वारा दुकान किराया, बिजली व पानी के व्यय सेल्समेन का पारिश्रमिक तथा दुकान संचालन संबंधी समस्त व्यय स्वयं वहन किया जाएगा। यह अनुबंधकर्ता का उत्तरदायित्व होगा।

17. अनुबंधकर्ता किसी अन्य खादी संस्था/ग्रामोद्योग इकाई से खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री सीधे क्रय नहीं कर सकेगा ।

18. द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध की शर्तों एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पक्ष में सुरक्षा निधि राशि रूपये 3.00 अक्षरी रूपये तीन लाख मात्र बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. के रूप में प्रस्तुत करनी होगी । यह राशि अनुबंध समाप्त होने पर वापसी योग्य होगी ।

19. सुरक्षा निधि के रूप मे जमा की गई राशि पर ब्याज देय नहीं होगा, साथ ही अनुबंध समाप्ति के समय बोर्ड की लेनदारियों की सुरक्षा निधि राशि में से कटौत्रा कर शेष राशि वापस की जावेगी ।

20. द्वितीय पक्षकार द्वारा खादी/विन्ध्यावैली ब्राण्ड उपयोग करने के लिए ब्राण्ड शुल्क राशि प्रतिवर्ष रूपये 50,000/– (अक्षरी राशि रूपये पचास हजार मात्र) मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पक्ष में आर.टी.जी.एस./बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करनी होगी । यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी ।

21. द्वितीय पक्षकार द्वारा व्यवसाय संचालन के लिए निविदा प्रस्ताव में प्रस्तुत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित .... प्रतिशत से विक्रय राशि पर व्यवसाय शुल्क का भुगतान प्रतिमाह मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को आगामी माह की दस तारीख तक क्रय/विक्रय के बिलों की छायाप्रति के साथ अनिवार्यतः करना होगा ।

22. द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रतिमाह किये गए व्यवसाय क्रय विक्रय की जानकारी एवं मासिक आय व्यय पत्रक आगामी माह की दस तारीख तक बोर्ड को क्रय के बिलों की छायाप्रति के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । तीन माह तक निरंतर जानकारी अप्राप्त होने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा ।

23. अनुबंध अवधि में वृद्धि किये जाने पर व्यवसाय शुल्क में प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ।

24. प्रथम पक्षकार द्वारा बोर्ड के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारियों को अनुबंधित विक्रय केन्द्र का प्रतिमाह लेखा एवं स्टॉक रिकार्ड तथा विक्रय केन्द्र में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन/निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा । इस संबंध में द्वितीय पक्षकार बोर्ड के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगें ।

25. द्वितीय पक्षकार मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के नाम से किसी भी बैंक में खाता नहीं खोल सकेगा ।

26. द्वितीय पक्षकार द्वारा संचालित की जाने वाली दुकान के बोर्ड पर बोर्ड द्वारा दी गयी डिजायन का ही बोर्ड लगायेगा।

27. द्वितीय पक्षकार मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के नाम से कोई भी लेटर हेड, बिल, केशमेमों एवं कोटेशन का उपयोग नहीं करेगा । अनुबंधित इकाई/फर्म स्वयं के नाम, पता एवं स्वयं के जी.एस.टी. नम्बर सहित बिल/केशममों छपवाकर उपयोग कर सकेगा ।

28. द्वितीय पक्षकार अपने व्यवसाय हेतु रखे गए कर्मचारियों की स्वत्वों का निराकरण स्वयं करेगा एवं इन कर्मचारियों द्वारा किये गए किसी भी कृत्य की सम्पूर्ण वैधानिक जवाबदारी द्वितीय पक्षकार की होगी ।

29. द्वितीय पक्षकार द्वारा केन्द्र शासन/मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी श्रम कानूनों के नियमों एवं प्रावधानों को पालन करना सुनिश्चित करेगा ।

30. अनुबंध की उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किये जाने की दशा में प्रबन्ध संचालक, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्ति, तर्क/वाद मान्य नहीं होगा ।

31. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद का निराकरण करने हेतु प्रबन्ध संचालक, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल आर्बिट्रेटर होगें एवं प्रबन्ध संचालक द्वारा लिए गए निर्णय को दोनों पक्षों को मान्य करना होगा । निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

32. प्रबन्ध संचालक, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, इस अनुबंध में किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि, भाषा में विरोधाभास होने इत्यादि की दशा में अनुबंध में संशोधन करने के लिए अधिकृत होगें ।

33. समस्त प्रकार के वैधानिक कार्य हेतु न्याय क्षेत्र भोपाल होगा ।

स्थान.........................

दिनांक.......................

प्रथम पक्षकार

प्रभारी अधिकारी (विपणन)
म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
74, अरेरा हिल्स, भोपाल

द्वितीय पक्षकार

....
....
....

1. गवाहः–

नामः–............................

पताः–............................

2. गवाहः–

नामः–............................

पताः–............................